

To,
Jharkhand Real Estate Regulatory Authority
7th Floor, Ranchi Municipal Corporation Building,
Near Kutchery Chowk, Ranchi.

Sub: Details of Fire Fighting facilities in the building.

The Fire fighting facilities are applicable in this proposed project.

Thanking you,



Jayant B...

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-13वीं जून 2022


सेवा में,

SHRI SHANKAR ROY,
HB ROAD NEAR SHIVAM COMPLEX,
THARPAKHINA HOUSE RANCHI

विषय:- मौजा-कोनका, प्लॉट नं0-2057, खाता नं0-NA, वार्ड नं0-17, थाना-लालपुर, जिला-राँची में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-520 दिनांक-13.06.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 1,50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु 20,000 लीटर क्षमता वाले टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के चारों तरफ 200mm डायामेटर वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के सभी स्टेयरकेस लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक-एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30-30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के बेसमेन्ट सहित सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
8. बेसमेंट में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर पार्टीशन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. बेसमेंट में विजली का ट्रांसफॉर्मर जैसे पौजिटिव प्रेशर उत्पन्न करनेवाले किसी भी उपकरण का संस्थापन नहीं कराया जाय।
10. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
11. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को एड्रेसेबल टाईप स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
12. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दो अदद 2850 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
13. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
14. 180 Lpm क्षमता का दो अदद जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
16. राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग-अलग पम्पिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
17. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।
18. पम्पिंग सिस्टम पौजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।



Shankar Roy

